कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/ 8085 रायपुर, दिनांक 25/07/2017

प्रति, तत्काल

समस्त प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन
छत्तीसगढ़

विषय- तेन्दूपत्ता विक्रय पर जी.एस.टी के संबंध में।
संदर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/7535 दिनांक 12.07.2017

--00--

संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसमें तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनोपज के विक्रय पर अधिरोपित जी.एस.टी के दर के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में आपके द्वारा तेन्दूपत्ता व्यापारी एवं विनिर्माताओं से जी.एस.टी वसूल करने एवं माल का परिदान देने संबंधी जानकारी चाही गई है।

ततसंबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा उल्लेखित दर 18 प्रतिशत की दर से व्यापारी / विनिमार्ताओ से निर्देशानुसार जी.एस.टी वसूल किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राप्त जी.एस.टी हेतु संबंधित व्यापारी / विनिर्माताओं को आपके द्वारा Invoice जारी किया जावेगा। **(Invoice का प्रारूप परिशिष्ट-01 संलग्न है)** ध्यान रहे Invoice परिदान आदेश जारी करने के साथ-साथ व्यापारी / विनिर्माताओं को उपलब्ध कराया जावेगा। Invoice तीन प्रतियों में संधारित होगा जिसमे एक प्रति संघ कार्यालय एक प्रति संबंधित व्यापारी को तथा एक प्रति कार्यालयीन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा।

Invoice में Invoice नम्बर जिला यूनियन के कोड के साथ दर्ज किया जावेगा। संघ मुख्यालय द्वारा जारी प्रत्येक जिला यूनियन हेतु कोड निर्धारित किया गया है। **(कोड परिशिष्ट-02 संलग्न है)** उदाहरणार्थ बीजापुर जिला यूनियन हेतु कोड JDBIJ / Invoice No में कोड के स्थान पर दर्ज होगा इसी प्रकार अन्य जिला यूनियन भी सूची में उल्लेखित कोड को अंकित करेगे। इसके साथ ही जिला यूनियन द्वारा वित्तीय वर्ष में जारी किये जाने वाला पहला Invoice है तो Invoice नम्बर JDBIJ/17-18/001 लिखा जावेगा यदि जारी किये जाने वाला 15 वां है तो Invoice नम्बर JDBIJ/17-18/015 लिखा जावेगा।

Invoice जारी करने के पूर्व Invoice में प्रत्येक व्यापारी / विनिर्माता से जी.एस.टी विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी.एन नम्बर प्राप्त कर Invoice में सही-सही अंकित किया जाना अनिवार्य है।

विक्रय मूल्य एवं अधिरोपित जी.एस.टी की गणना के लिए संलग्न Invoice स्वमेव स्पष्ट है। संदर्भित पत्र द्वारा जी.एस.टी गणना हेतु दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार गणना कर जी.एस.टी की राशि वसूल करे।

1. कर योग्य वस्तु / सेवा में विक्रय मूल्य उस पर 03 प्रतिशत वन विकास उपकर, पुर्नजीवन शुल्क, अवधि वृद्धि शुल्क, गोदाम किराया, ब्याज की राशि, हस्तातंरण शुल्क आदि सम्मिलित होगा।

2. Invoice में उल्लेखित Less Discount के कॉलम में करारनामे की शर्त के अनुसार देय छूट राशि का उल्लेख किया जावेगा तथा विक्रय मूल्य से घटाने के पश्चात् कर योग्य राशि परिगणित होगी।

3. समस्त कर योग्य राशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी (09 प्रतिशत SGST एवं 09 प्रतिशत CGST या 18 प्रतिशत IGST की दर से गणना की जावेगी।

गणना हेतु काल्पनिक विक्रय मूल्य आदि लेकर नीचे गणना की गई है:-

उदाहरणः

क्रमांक	विवरण	दर	राशि
1.	Sale Price		100000.00
2.	Forest Development Cess	3%	3000.00
3.	Restroration Fee		1000.00
4.	Godown Rent		2000.00
5.	Interest (On sale price/godown rent/others)		1000.00
6.	Transfer Fee		1000.00
7.	others		500.00
8.	**Total Amount Before Tax**		**108500.00**
9.	Less - Rebate (if Applicable on Sale Price)	2%	2000.00
10.	**Net Amount Before Tax**		**106500.00**
11.	CGST 9%	9%	9585.00
	SGST 9%	9%	9585.00
	OR		or
	IGST 18% For Interet State Supply	18%	19170.00
12	**Amount After Tax**		**125670.00**

इसी प्रकार क्रेताओ से संकलित की जाने वाली आयकर (टी.सी.एस) की राशि की गणना उपरोक्त उदाहरण में दर्शित अनुक्रमांक (1+2+11) के योग की राशि पर 05 प्रतिशत की दर से किया जाना सूनिश्चित करें।

ज्ञात हो की माह में प्राप्त जी.एस.टी का रिर्टन आगामी माह के 10 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु माह में प्राप्त जी.एस.टी की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में M.S. Excle, Font Arial size 12 में अगले माह के 03 तारीख तक साफ्ट कापी के साथ-साथ पी.डी.एफ कापी संघ मुख्यालय की ई-मेल आई-डी mfpfed.cg@nic.in में भेजा जाना सुनिश्चित करे इसमें किसी प्रकार की विलंब के लिये आप स्वयं जवाबदार होगे। **(जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-03 में संलग्न है)** ध्यान रहे कि विलंब से जी.एस.टी की जानकारी प्राप्त होने पर अधिरोपित होने वाले ब्याज एवं शास्ती के लिये आप स्वयं जवाबदार होगे।

जी.एस.टी की संकलित राशि को जमा करने के संबंध मे अलग से दिशा निर्देश जारी किया जावेगा।

वन विकास उपकर वर्तमान में लिया जावेगा। शासन निर्णय उपरांत आगे कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः- परिशिष्ट-01, 02 एवं 03

मुदित कुमार सिंह 25/6

(मुदित कुमार सिंह)
प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/संघ/वित्त/2017/ 8086 **रायपुर, दिनांक 25/07/2017**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1) **प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,** वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2) **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक,** वन वृत्त, छत्तीसगढ़

संलग्नः- परिशिष्ट-01, 02 एवं 03

मुदित कुमार सिंह 25/6

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर

परिशिष्ट-01

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100-4065110 फैक्स: 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

GSTIN NO- 22AABAC5137E2ZC

INVOICE

District Union ....

Invoice No :	DUcode/No	Release Order Details
Invoice Date :		Letter No. : Date :
State :	Chhattisgarh	
State Code :	22	
Details of Purchaser/ Billed to		
Name		
Address		
GSTN No :		
State :		
State Code :		

Name of Product / Service : Bidi Wraper Leaves (Tendu)

HSN (Harmonised System of Nomenclature) : 1404 90 10

Lot Number : .... Year ....

Installment No . (1/2/3/4) : ....

S.No.	Taxable Items	Qty (Std.Bag)	Rate	Amount	Less Discount	Taxable Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Sale Price					
2	Forest development Cess		3%			
3	Restroation Fee					
4	Extension Fee					
5	Godown Rent					
6	**Interest -**					
	1. on sale price					
	2. Godown rent					
	3. Others					
7	Transfer fee					
8	Others					
Total Amount before tax						0.00
ADD : CGST @ 9%						
SGST @ 9%						
IGST @18%						
Total GST Amount						
Total Amount After tax						
Add : TCS (Sale Value+FDC+GST) @ 5%						
Total Invoice Amount						**0.00**
Total Invoice Amount in words :..						

Authorised Signatory (M.D. District union)

C.G. State Minor Forest Produce Cop. Fed.

प्रबंध संचालक

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर

परिशिष्ट-02

LIST OF DISTRICT UNION CODE

SL.No.	DISTRICT UNION NAME	CODE
1.	BIJAPUR	JDBJP
2.	SUKMA	JDSKM
3.	DANTEWADA	JDDAN
4.	JAGDALPUR	JDJDP
5.	SOUTH KONDAGAON	KNKND
6.	KESHKAL	KNKSH
7.	NARAYANPUR	KNNRP
8.	EAST BHANUPRATAPPUR	KNEBN
9.	WEST BHANUPRATAPPUR	KNWBN
10.	KANKER	KNKNR
11.	RAJNANDGAON	DGRJN
12.	KHAIRAGARH	DGKRG
13.	BALOD	DGBLD
14.	KAWARDHA	DGKWD
15.	DHAMTARI	RPDMT
16.	GARIYABAND	RPGRB
17.	MAHASAMUND	RPMSD
18.	BALODABAZAR	RPBLB
19.	BILASPUR	BLBSP
20.	MARWAHI	BLMRW
21.	JANJGIR CHAMPA	BLJCH
22.	RAIGARH	BLRGH
23.	DHARAMJAIGARH	BLDRJ
24.	KORBA	BLKRB
25.	KATGHORA	BLKTG
26.	JASHPURNAGAR	SRJSP
27.	MANENDRAGARH	SRMND
28.	KORIYA	SRKRY
29.	SARGUJA	SRSRG
30.	BALRAMPUR	SRBRP
31.	SURAJPUR	SRSRP

Managing Director
C.G.State M.F.P. Co-Op. Fed. Ltd.,Raipur

परिशिष्ट - 03

तेन्दूपत्ता क्रेताओं से वास्तविक रूप से प्राप्त जी.एस.टी., वन विकास उपकर एवं आयकर की माह .... 2017 की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	क्रेता का नाम	क्रेता का जी.एस.टी. नम्बर	लाट क्रमांक	वर्ष/ सीजन	कुल प्राप्त राशि	विक्रय मूल्य	वन विकास उपकर की राशि	पुनर्जीवन शुल्क की राशि	अवधि वृद्धि का शुल्क	गोदाम किराया की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट - 03

तेन्दूपत्ता क्रेताओं से वास्तविक रूप से प्राप्त जी.एस.टी., वन विकास उपकर एवं आयकर की माह .... 2017 की जानकारी

ब्याज			हस्तांतरण शुल्क की राशि	अन्य	कुल कर योग्य राशि	एस.जी.एस.टी. (9%)	सी.जी.एस.टी. (9%)	कुल प्राप्त जी.एस.टी. की राशि (18%) (योग कॉलम 19+20)	आयकर की दर	आयकर की राशि	जिला यूनियन के कलेक्शन खाते में जमा करने की दिनांक	संघ कलेक्शन खाते में अंतरण का दिनांक
विक्रय मूल्य पर	गोदाम किराया	अन्य										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

प्रबंध संचालक
ला.वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित......
छत्तीसगढ़

\\192.168.1.100\Share\ravee\format